

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024—कार्तिक 17, शक 1946

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्र. एफ UDH-6-5-0006-2024-अठारह-3.—श्रीमती दीपा पत्नी श्री दिनेश लहरिया, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा, जिला सागर द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने पद से दिनांक 5 नवम्बर 2024 को त्यागपत्र दिया गया है. त्यागपत्र की वास्तविकता के बारे में राज्य शासन का समाधान हो गया है.

2. अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41(ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमती दीपा लहरिया, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा का त्यागपत्र स्वीकार करता है तथा नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा, जिला सागर के अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.